SHRT TAPAN KUMAR SEN: Anybody having understanding of the employee's service conditions cannot. ...*(Interruptions)*...

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): In the case of overlapping, what will he do?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): The question is:

That the Bill to repeal the State Bank of Saurashtra Act, 1950 and further to amend the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move:

That the Bill to amend the Payment of Gratuity Act, 1972, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

महोदय, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हम दो उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं। पहला, employee शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाकर शिक्षकों को इस ऐक्ट के प्रावधानों का लाभ प्राप्त हो सके, यह व्यवस्था की जा रही है। दूसरा उद्देश्य यह है कि इस प्रावधान का लाभ शिक्षकों को उस दिन से प्राप्त हो सके, जब से उनको पहले मिलती हुई gratuity का लाभ जो discontinue हुआ है, 3 अप्रैल, 1997 से वह मिल सके - ये दो उद्देश्य हैं। सर सरकार ने 3 अप्रैल 1997 को एक notification जारी करके educational institutions को Payment of Gratuity Act, 1972 में cover किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा Ahmedabad Private Primary Teachers' Association *vs.* Administrative Officer and others के केस में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को निर्णय दिया गया कि Payment of Gratuity Act, 1972 में 'employee' की परिभाषा में educational संस्थाओं के टीचर्स शामिल नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिष्ठाता महोदय ने अपना निर्णय देते वक्त यह बात कही कि हमारे इस जजमेंट को misunderstand न किया जाए क्योंकि जो टीचर्स का profession है, वह बड़ा नोबल profession है इसलिए हम इस निर्णय को Legislature के ऊपर छोड़ते हैं कि वह चाहे तो उनको कवर करने के लिए कदम उठा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम Payment of Gratuity Act को amend करके अध्यापकों को भी employee वर्ड की परिभाषा में कवर करें। महोदय, यह सारा सदन इस बात को जानता है कि इस ऐक्ट में factories, mines, oilfields, plantation, ports, railway companies, shops or other establishments, जिसमें दस या दस से अधिक वर्कर्स काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स को साढ़े तीन लाख रुपए तक ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान है।

ग्रेच्युटी उन सभी वर्कर्स को दी जाती है, चाहे वह स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड, अन-स्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्नीकल और क्लेरिकल वर्क आदि करते हों। यह ऐक्ट उन सभी वर्कर्स पर लागू होता है, जो केजुअल हों, कांट्रेक्ट पर हों, टेम्परेरी या रेगुलर वर्कर्स हों। यह लाभ वर्कर्स को पांच साल की कंटिन्युअस सेवा करने के बाद प्राप्त होता है। परन्तु ऐसी स्थिति में जब किसी की मौत हो जाए या डिसेबल्ड हो जाए, उसके कारण उसका जॉब छूटता है, तो इस पांच साल की अवधि में शिथिलता दी जाती है। इस संबंध में, मैं इस सदन के समक्ष कहना चाहूंगा कि यह अधिनियम, 8 जनवरी, 1982 से सभी लोकल बॉडीज़ में नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किया गया था। लोकल बॉडीज़ में काम करने वाले शिक्षकों को इसका लाभ मिलने लगा, तो सरकार ने महसूस किया कि इसका प्राईवेट स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग को भी लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए 3 अप्रैल, 1997 को नोटिफिकेशन लेकर सरकार आई और उसके जरिए से ऐसी संस्थाओं में जहां 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हों, उनको यह लाभ दिया गया। परन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी, 2004 के निर्णय में यह आर्डर दिया कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युअटी ऐक्ट, 1972 के सैक्शन 2 (ई) में दी गई एम्पलाई शब्द की परिभाषा से उनके विचार में टीचर्स कवर नहीं होते और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युअटी ऐक्ट में एम्पलाई की परिभाषा में उस तरह की वाइड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई है, जैसी कि एम्पलाईज़ प्रोविडेंट फण्ड एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स ऐक्ट, 1952 में एम्पलाई शब्द को परिभाषित किया गया है।

सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस परिभाषा को विस्तृत बनाने का फैसला लिया और इसके लिए वर्ष 2007 में लोक सभा में हम एक बिल लेकर आए और वह बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बारे में ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहूंगा। इस बिल के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने चार सुझाव दिए और स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि सरकार ने इसमें जो एम्पलाई शब्द की परिभाषा दी है, जो बिल सरकार ने लोक सभा में प्रस्तुत किया था, उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले टीचर्स का स्पष्ट उल्लेख करें। लेकिन हम उसको इसलिए नहीं मान सके क्योंकि यदि हम टीचर्स शब्द का ऐक्ट के अंदर उल्लेख करते, तो दूसरे जो समकक्ष प्रोफेशन हैं, उन सबका भी ऐक्ट में उल्लेख करना पड़ता। इसलिए यह सोचा गया कि विधि मंत्रालय से भी राय ली गई और बहुत विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि यदि हम ईपीएफ ऐक्ट के समकक्ष एम्पलाई शब्द की परिभाषा को व्यापक बना देते हैं, तो वह टीचर्स को कवर करेगा, तो एक प्रकार से हमने, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमंडेशन थी, उसको किसी न किसी तरीके से, सम्मानित किया है।

सर, दूसरा सुझाव आया था, वह यह था कि इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारे संशोधन विधेयक, 2007 में प्रस्तुत किया गया था, उसमें यह व्यवस्था नहीं थी कि यह 13 अप्रैल, 1997 से प्रभावी होगा, जिस दिन से ग्रेच्यूटी डिस-कंटीन्यु की गई थी, सरकार ने यह फैसला लिया कि इस सुझाव को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसलिए यह फैसला लिया गया और उसमें इसको इनकारपोरेट कर लिया गया।

सर, तीसरा सुझाव कांट्रेक्ट वर्कर्स के विषय में था। स्टैंडिंग कमेटी चाहती थी कि इसका स्पष्ट प्रावधान हो और मैं माननीय सदन के सम्मुख इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे इस ऐक्ट के तहत इस तरह की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध हो और उसमें साफ-तौर पर कहा गया है, अलग-अलग नेचर के विषय में भी कहा गया कि चाहे वे केजुअल हों, कांट्रेक्ट पर हों, टेम्परेरी हों, रेगुलर वर्कर्स हों, इसमें सिर्फ एक बात है कि उन्होंने पांच साल तक काम किया हो, तभी उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। कांट्रेक्ट वर्कर्स शब्द पहले से ही ऐक्ट के अंतर्गत सम्मिलित है, इसलिए इस बारे में जो सुझाव स्टैंडिंग कमेटी का था, वह पहले से ही समाहित था।

महोदय, इस तीसरे सुझाव का भी सम्मान किया गया, लेकिन एक सुझाव स्टैण्डिंग कमेटी ने दिया, वह threshold limit को घटाकर दस से कम करने का था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में हमारे जितने भी ऐक्ट्स हैं, उन ऐक्ट्स में या तो दस या दस से अधिक की बात है या बीस से अधिक की बात है। दूसरे ऐक्ट्स के परिप्रेक्ष्य में इस संशोधन पर जो सुझाव माननीय स्टैण्डिंग कमेटी का था, उस पर विचार करने की आवश्यकता थी। हमें लगा कि इसमें काफी समय लग जाएगा, इसलिए निर्णय लिया गया कि हम इसको दस से ऊपर ही रखें। माननीय स्टैण्डिंग कमेटी की संस्तुति थी, उसके संदर्भ में यह विचार सोचा गया। क्योंकि गवर्नमेंट उस समय तक unorganized sector के workers के लिए Social Security Act लाने का विचार बना चुकी थी, उस दिशा में मूव कर चुकी थी, इसलिए सोचा गया कि उनको, जो हमारे दस और दस से नीचे के संस्थान हैं, Social Security Act व्यवस्था करने का काम करेगा, उनके विषय में Social Security Act के अंतर्गत सोचा जा सकता है, इसलिए इस संदर्भ में माननीय स्टेण्डिंग कमेटी की संस्तुति थी, उसको वहीं पर छोड़ दिया गया है। मैं माननीय सदन से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय जो संशोधन हम वर्तमान ऐक्ट में लेकर आए हैं, उसका एक सीमित उद्देश्य है, मगर उस सीमित उद्देश्य के माध्यम से भी लाखों शिक्षकों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे उनको लाभ मिलेगा, इसलिए मैं माननीय सदन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे इस संशोधन विधेयक को एक मत से स्वीकार करने की कृपा करें।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Messages from Lok Sabha.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(iii) **The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2009**

(iv) **The Civil Defence (Amendment) Bill, 2009**

(v) **The Trade Marks (Amendment) Bill, 2009**

(vi) **The Commercial Division of High Courts Bill, 2009**

(vii) **The Legal Metrology Bill, 2009**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2009, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 18th December, 2009".

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Civil Defence (Amendment) Bill, 2009, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 18th December, 2009".